

मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल डाक परिमंडल, के पत्र क्रमांक 22/153, दिनांक 10-1-06 द्वारा पूर्व भुगतान योजनान्तर्गत डाक व्यय की पूर्व अदायगी डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत.



पंजी. क्रमांक भोपाल डिवीजन
म. प्र.-108-भोपाल-09-11.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 116]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 29 जनवरी 2010—माघ 9, शक 1931

वाणिज्यिक कर विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 29 जनवरी 2010

क्र. एफ. 6-बी-11-2008-1-पांच (38).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, एतद्वारा, मध्यप्रदेश अधीनस्थ कराधान सेवा (तृतीय श्रेणी-कार्यपालिक) भर्ती नियम, 2007 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात् :-

संशोधन

उक्त नियमों में,—

1. अनुसूची-तीन के स्थान पर, निम्नलिखित अनुसूची स्थापित की जाए, अर्थात् :-

“अनुसूची-तीन

(नियम 8 देखिए)

सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित आयु तथा अर्हता

विभाग का नाम तथा सेवा का नाम	पद का नाम	न्यूनतम आयु सीमा	अधिकतम आयु सीमा	अनिवार्य शैक्षणिक अर्हता	अपेक्षित- योग्यता/ अनुभव
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
मध्यप्रदेश वाणिज्यिक कर विभाग अधीनस्थ कराधान सेवा (तृतीय श्रेणी कार्यपालिक)	1. वाणिज्यिक कर निरीक्षक.	21 वर्ष	30 वर्ष	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक.	
	2. कराधान सहायक	21 वर्ष	30 वर्ष	किसी मान्यता प्राप्त विश्व- विद्यालय से वाणिज्य में स्नातक	—.”

2. अनुसूची पांच में, पैरा 5 में, उप पैरा (1) के स्थान पर, निम्नलिखित उप पैरा स्थापित किया जाए, अर्थात् :—

“(1) ऐसे अभ्यर्थियों की, जिनके नाम इस अनुसूची के पैरा 4 के उप पैरा (7) के अधीन तैयार की गई चयन सूची में विद्यमान हैं, विगत 5 वर्षों की चरित्रावलियों का मूल्यांकन नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा गठित की जाने वाली विभागीय चयन समिति द्वारा किया जाएगा, जिसमें निम्नलिखित होंगे, अर्थात् :—

(एक) अध्यक्ष — अपर आयुक्त, वाणिज्य कर
(दो) सदस्य सचिव — उप आयुक्त (मुख्यालय)
(तीन) सदस्य — उप आयुक्त.”

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. यादव, अपर सचिव.

भोपाल, दिनांक 29 जनवरी 2010

क्र. एफ. 6 बी-11-2008-1-पांच (38).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ. 6 बी-11-2008-1-पांच (38), दिनांक 29 जनवरी 2010 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राकेश यादव, अपर सचिव.

Bhopal, the 29th January 2010

No. F. 6-B-11-2008-1-V (38).—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Madhya Pradesh, hereby makes the following amendments in the Madhya Pradesh Commercial Tax Department Subordinate Taxation Service (Class-III Executive) Recruitment Rules, 2007, namely :—

AMENDMENT

In the said rules,—

1. For schedule-III, the following Schedule shall be substituted, namely :—

“SCHEDULE-III

(see rule 8)

Age and Qualification required for direct recruitment

Name of the Department and the name of the service (1)	Name of the Posts (2)	Minimum age limit (3)	Maximum age limit (4)	Essential educational qualification (5)	Required ability/experience (6)
Madhya Pradesh Commercial Tax Department Subordinate Taxation Service (Class-III Executive)	1. Commercial Tax Inspector.	21 years	30 years	Graduate from any recognized University.	—
	2. Taxation Assistant	21 years	30 years	Graduate in Commerce from any recognized University.	—

2. In Schedule-V. in para 5, for sub-para (1), the following sub-para shall be substituted, namely :—

“(1) Character rolls of last 5 years of such candidates whose names exist in the selection list prepared under sub-para (7) of para 4 of this Schedule, shall be evaluated by a Department Selection Committee to be constituted by the Appointing Authority consisting of the following, namely :—

- (i) Chairman — Additional Commissioner, Commercial Tax
- (ii) Member Secretary — Deputy Commissioner (Head Quarter)
- (iii) Member — Deputy Commissioner.”

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,

R. K. YADAV, Addl. Secy.